सरकार बनाम रतनी देवी वगै.

13/6/25

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों को प्राथमिक आपत्ति पर सुना गया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रदत आदेश दिनांक 05–04–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है तथा अनुतोष व अपील मीमो में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–05–2024 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है जो अपने आप में विरोधाभासी है। उक्त दोनो आदेश अलग–अलग दिनांक को जारी किये गये है तथा दोनो आदेशो की प्रकृति भी भिन्न–भिन्न है। तथा उक्त दोनो आदेश को एक ही अपील के माध्यम से चुनौति नही दी जा सकती है। इसलिए रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने आगे बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील दायर करने की दिनांक को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रतनी देवी फौत हो चुकी थी। किसी मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाकर अपील दायर नही की जा सकती है। अपील प्रारंभतय ही शुन्य है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने आगे कथन करते हुए कहा कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01–05–2024 एवं आदेश दिनांक 5–04–2003 दो अलग–अलग निर्णयों की एक ही अपील के माध्यम से चुनौति दी गई है। दो अलग–अलग निर्णयों को चुनौति एक ही अपील के माध्यम से नही दी जा सकती है। तथा आगे कथन करते हुए कहा कि अपीलांट द्वारा जो खातेदारी के निर्णय की अपील प्रस्तुत की गई है उसमें प्रमाणित प्रति पेश नही कि गई है। रेवेन्यु कोर्ट मैन्युअल के नियम 30 के अनुसार अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करना आवश्यक है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एआरआर 1986 पेज संख्या 26 व एआईआर 1988 पेज संख्या 267 न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1983 पेज संख्या 811, आरआरडी 1980 पेज संख्या 228, आरआरडी 1993 पेज संख्या 814, 1980 पेज संख्या 228, आरआरटी 1993, पेज संख्या 115, आरबीजे 2005 पेज संख्या 170, एआईआर 1987 पेज संख्या 1353, एआईआर 1967 पेज संख्या 24, सीसीसी 2025 पेज संख्या 417 प्रस्तुत कर अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

अभिभाषक अपीलांट/अप्रार्थी ने प्राथमिक आपत्ति के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश 05–04–2003 को जारी किया गया है वह आदेश खातेदारी जारी करने हेतु किया गया है तथा उक्त खातेदारी अधिकारी रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा गलत तरीके से प्राप्त किये गये है एवं आदेश दिनांक 01–05–20024 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आंशिक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रूप से स्वीकार किया गया है। उन्होने आगे कथन करते हुए कहा कि चकगर्बी के खसरा नम्बर 1345/159 व चक 7 बीएमके मुरब्बा नं. 77/33 में वर्णित भूमि की गलत तरीके से तथ्य छुपाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है। प्राथी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्राथमिक आपति के स्तर पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की प्राथमिक आपति स्वीकार की जावे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विधि के परिप्रेक्ष्य मे अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्राथी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रकरण में निम्नाकिंत प्राथमिक आपत्तिया प्रस्तुत की गई–

1. **अपील मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने से न्युलिटी होने के कारण खारिज योग्य है।**
2. **अपील के साथ अपीलाधीन आदेश/डिक्री की प्रमाणित नकल पेश नही होने के कारण अपील खारिज योग्य है।**
3. **दो अलग–अलग प्रकृति के आदेशो की एक ही अपील पेश होने के कारण अपील खारिज योग्य है।**

उपर्युक्त आपत्तियों के संबंध में विधिक प्रावधानो व न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया गया।

प्रथम आपत्ति यह है कि अपील मृत पक्षकारान के विरूद्ध पेश की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रतनी देवी की मृत्यु दिनांक 30–05–2007 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जेठाराम की मृत्यु दिनांक 04–12–1981 को हो चुकी थी जबकि अपील दिनांक 04–03–2025 को प्रस्तुत की गई। स्पष्ट है कि अपील मृत पक्षकारो के विरूद्ध पेश की गई है। इस संबंध में विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 तथा आदेश 1 नियम 10 के प्रावधान वाद/अपील दायर होने के पश्चात् यदि पक्षकार की मृत्यु होती है तब लागू होते है। वाद/अपील दायर होने से पूर्व पक्षकारो की मृत्यु की स्थिति में ये प्रावधान लागू नही होते है। न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1986 जे.के. पेज संख्या 26 के अनुसार– **"Suit Agiainst Dead Person-It is nullity-Plaintiff cannot be allowed to amend suit and subsitute legal representatives in place of dead defendant."** इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1988 डीईएल पेज संख्या 267 के अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत वाद/अपील न्युलिटी की श्रेणी में आता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह प्रकट होता है कि अपील हाजा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि न्युलिटी की श्रेणी में आती है।

द्वितीय प्रारंभिक आपत्ति यह है कि अपील के साथ अपीलाधीन आदेश/डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही गई है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील हाजा दिनांक 04–03–2025 को प्रस्तुत की गई थी अपील के साथ अपीलाधीन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश/डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही की गई थी। पत्रावली में तीन माह गुजरने एवं छह बार अवसर दिये जाने, तहसीलदार एवं राजकीय अभिभाषक को व्यक्तिगत रूप से अवगत करवाने के उपरान्त भी आदिनांक तक अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही की गई है। राजस्थान रेवेन्यु कोर्ट मैन्युअल पार्ट–द्वितीय नियम 30 के अनुसार अपील के साथ अपीलाधीन आदेश/डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है यह आज्ञापक प्रावधान है। आरआरडी 1980 पेज संख्या 228 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " **That provision of rule 30 Revenue Courts Manual Part II is mandatory and failure to submit the copy of the order of the court of first instance is not a curable defect and is fatal for the case and cannot be rectified in the interst of justice by the court if it so deerns fit.**"

तृतीय प्राथमिक आपत्ति यह है कि दो अलग–अलग प्रकृति के अदेशो की एक ही अपील की गई है। अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपील में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05–04–2003 तथा आदेश दिनांक 01–05–2024 को चुनौति देते हुए इन्हे निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। आदेश दिनांक 01–05–2024 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत इंतकाल संख्या 62 की अपील खारिज की है। चुकि आदेश दिनांक 01–05–2024 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के तहत जारी किया गया है। अतः इस आदेश की अपील का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा का नही है साथ ही यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि अलग–अलग प्रकृति के आदेशो को एक अपील के जरिये चुनौति नही दी जा सकती। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1983 पेज संख्या 811 इस पर पूर्णतय चस्पा होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विधिक प्रावधानो की अनदेखी करते हुए प्रस्तुत की गई है। अतः प्राथमिक आपत्तियां प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट स्वीकार कर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अपीलांट/तहसीलदार, बीकानेर इस अपील के डिफेक्ट दूर कर पुनः अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगे। त्रुटिपूर्ण अपील प्रस्तुत करने के लिए संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्णय की प्रति जिला कलेक्टर, बीकानेर प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर